अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0..से...तक

जिला..., सं0..., सन् १६...........................

....

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के ब टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 498/2012

लक्ष्मी यादव — अपीलार्थी

वनाम

गणेश यादव एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी लक्ष्मी यादव पिता स्व0 अमृत यादव ग्राम भतरंधा टोला – औराही थाना घैलाढ़ जिला– मधेपुरा द्वारा गणेश यादव पिता स्व0 सुखदेव यादव, सुरेश यादव पिता स्व0 भोगी यादव, सकलदेव यादव पिता शीबू यादव, नागेश्वर यादव पिता बाबूजी यादव, उपेन्द्र यादव पिता स्व0 सुब्धी यादव आमी यादव पिता बासुदेव यादव, मनोज यादव पिता – विन्देश्वरी यादव, मनोहर यादव पिता जरी लाल यादव, चन्देश्वरी यादव पिता स्व0 दुर्गी यादव, योगेन्द्र तॉती पिता राजेश्वर तॉती, शिवेन्द्र तॉती पिता राजेश्वर तॉती फागू तॉती, जगदीश तॉती पिता स्व0 महावीर तॉती, कलेश्वर तॉती पिता स्व0 अनुप तॉती सभी ग्राम भतरंधा, टोला – औराही थाना – घेलाढ़ जिला– मधेपुरा के प्रश्नगत जमीन खाता पु0 466 खेसरा 1005 में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

अपीलार्थी जो निम्नन्यायालय में प्रतिवादी थे का कथन है कि सेलडीड संख्या 2672 /84 दिनांक 20.03.84 में जमीन खतियानी रैयत से 2 बिगहा 13 कट्ठा 7 धुर जमीन खरीदा है जिसकी जमाबंदी उनके नाम से चलती आ रही है तथा वे इसका लगान रसीद भी देते आ रहे है। उनका यह भी कथन है कि खतियान दोरिक जोलहा के नाम से खुला है। पूर्व में जमींदार ने सेस रिटर्न 1941–42 रिभुलेसन भी दोरिक तरॉती के नाम से दिया है तथा खतियान सुधार अपील वाद संख्या 28834/34 के तहत उनके नाम से ही दर्ज हुआ है। अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा निम्नन्यायालय में अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया था।

1.लगान रसीद की छायाप्रति श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव के नाम से दर्ज है दाखिल किये थे।

2.अमहा राज से प्राप्त रसीद की छाया प्रति अस्पष्ट।

3. , खतियान की छाया प्रति दोरिक तॉती के नाम से दर्ज है खाता 912 कैफियत में रामेश्वर वो जगदीश तॉती वो अन्य दर्ज है।

4.सेष रिभुलेशन रिटर्न की छायाप्रति दोरिक तॉती के नाम से दर्ज है।,

5.श्री बौकु तॉती पिता स्व0 दोरिक तॉती के द्वारा श्री लक्ष्मी यादव को लिखा गया केवाला की छाया प्रति खाता नंया 912 पूराना 466, खेसरा पु0 1003, 1005, 1172, 1175 खेसरा नया 3734, 3758, 4908,4909 रकबा 2 विगहा 13 कट्ठा 7 धुर दर्ज है।

6.राजस्व पदाधिकारी वाद संख्या 28834/84 के द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति ।

प्रत्यर्थी जो निम्नन्यायालय में वादी थे का निम्नन्यायालय के समक्ष कथन है कि है कि खाता पुराना 466 सर्वे खतियान नाम से गुदर एवं जीवलाल ततमा के नाम दर्ज है। कालांतर में खाता 466 की जमीन में जोगी मंडल पिता रूपलाल मंडल ने 1 विगहा 9 कट्ठा 10 धुर जमीन बंदोबस्ती प्राप्त किया तथा जिसपर वे हकदार वो दखल कार हुए । तदनुसार जमाबंदी भी कायम हुई । इनका यह भी कथन है कि बंदोबस्ती परवानगी के बाद इस खाता 466 खेसरा 1003, 1005, 1173,1174,1175 की जुमला रकबा 1 बिगहा 4 कट्ठा 17 धुर जमीन पर गेना तांती का कब्जा चला आता आया है। जोगी मंडल ने अपने बंदोबस्त वाली जमीन खाता नं0 466 खेसरा 1005 रकबा 1 बिगहा 9 कट्ठा 10 धुर जमीन रजिस्ट्री केवाला से दिनांक 01.07.50 ई0 को बासुदेव मंडल वो चंदेश्वरी मंडल वादीगण के विक्रेता के पूर्वज वासुदेव मंडल वो चंदेश्वरी मंडल को केवाला कर दिया तथा दखल दिला दिया । वासुदेव मंडल जमाबंदी कायम कर रसीद कटाते आ रहे है।

यह भी कथन है कि पुराना खाता 466 का नया खाता 912 बना तथा पुराना खेसरा 1005 का नया खेसरा 3757 रकबा 36 डी0 तथा 3758 का रकबा 1 एकड 32 डी0 बना पुराना खेसरा 1003 का नया खेसरा 3734 रकबा 57 डी0 बना पुराना खेसरा 1173,1174,1175 का दो नया खेसरा 4908 रकबा 10 डी0, 4909 रकबा 10 डी0 बना । सर्वे खतियान की भुल से प्रश्नगत जमीन का खतियान दोरिक जोलहा के नाम से हो गया था जिसके विरूद्ध बी0टी0एक्ट 106 के तहत उनके द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, पर उन्हें इस वाद को चलाने की जानकारी कभी भी नहीं हुई, लेकिन प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से वादी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश अपने पक्ष में करा लिया है। जिसकी कोई पायबंदी उनपर नहीं है। इसके विरूद्ध उन्होंने जिला पदाधिकारी के न्यायालय में रिविजन वाद दारखिल किया है।

यह भी कथन है कि चंदेश्वरी यादव ने विवादी जमीन खाता 466 खेसरा 1005 रकबा 5 कट्ठा जमीन उचित कीमत प्राप्त कर हकरी देवी को वजरिये रजिस्ट्री केवाला 1977 में बिकी कर दिया तथा दखल दिला दिया जिसपर लक्ष्मी यादव सनाखत पहचानकर्त्ता है। हकरी देवी के लड़के हलधर यादव ने उक्त जमीन गणेश यादव एवं सुरेश यादव को बिकी कर दिया तथा 2005 ई0 से ही वे इस पर हकदार एवं दखलखकार है। सकलदेव यादव ने उक्त जमीन वासुदेव यादव के लड़का विष्णुदेव यादव से खरीदा है तथा दखलकार हैं।

प्रत्यर्थी/वादी के द्वारा निम्नन्यायालय में अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया था।

1. मुल केवाला की छाया प्रति चंदेश्वरी यादव बहक हकरी देवी ता0 4.11.77,खाता 466 खेसरा 1005 रकबा 5 कट्ठा दर्ज है।

2.मूल केवाला की छाया प्रति – जोगी मंडल बहक

वासुदेव मंडल ता0 01.09.50 खाता 466 खेसरा 1005, रकबा 1 एकड़ 33 डि0 अंकित है।

3.अनुमंडल दंडाधिकारी मधेपुरा के द्वारा 144 सी0आर0पी0सी वाद संख्या 415/05 में पारित आदेश ललन कुमार यादव के पक्ष में है।

4. कार्यपालक दण्डाधिकारी मधेपुरा के द्वारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत वाद संख्या 626/86, में पारित आदेश की छाया प्रति।

5.पंचगछिया स्टेट की रसीद अस्पष्ट।

6.श्री गेना तॉती पे0 हितो तॉती के नाम से लगान रसीद की छाया प्रति जमाबांदी संख्या 40 वर्ष 2011–12 ।

7. इनफारमेशन स्लीप की छाया प्रति जिसमें अंकित है कि जमाबंदी संख्या 165 की लक्ष्मण प्रसाद यादव के नाम से चलती है।

8. श्री सुबंध मेडल वो बाबुजी मंडल के नाम से निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति वर्ष 1988–89 जमाबंदी संख्या 22 ।

9. श्री कुशेश्वरी दास पिता स्व0 अनुप दास के द्वारा श्री मनोहर कुमार वो श्री मनोज कुमार पिता श्री जैसी लाल यादव को लिखे गये केवाला की छाया प्रति – खाता 466 पु0 नया 212 खेसरा पु0 1003 नया 3734 रकबा 6 कट्ठा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त वाद में निम्नन्यायालय द्वारा स्थानीय जॉच नहीं कराया गया और न ही उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात पर सम्यक रूप से विचार ही किया गया प्रतीत होता है।

उक्त वाद को निम्न न्यायालय को स्थानीय जांच कराकर एवं उभय पक्षों को सुनकर तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात का अवलोकन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। इस अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/8/2013

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

16/8/2013

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा